

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अगियान-2018 अटल सेवा केन्द्र मारुडी

दिनांक - 15/5/2

क्रमांक रीडर/2018/363

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1 बगतावरसिंह पुत्र नाथुसिंह वगैराह कौम राजपुत निवासी दरुडा तहसील व जिला बाडमेर।		1 बलवंतसिंह पुत्र पहाडसिंह वगैराह निवासी मारुडी, दरुडा तहसील बाडमेर व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-61/2018

दिनांक-15.05.2018

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा दरुडा पटवार क्षेत्र मारुडी तहसील व जिला बाडमेर के ग्राम दरुडा में स्थित खसरा न. 527/69, 528/69, 529/69, 530/69, 531/69, 68 कुल रकबा 35.12 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर 15

क्रमांक :- रीडर/364/367

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाडमेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मारुडी तहसील बाडमेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी बगतावरसिंह पुत्र नाथुसिंह वगैराह कौम राजपुत निवासी दरुडा बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी बलवंतसिंह पुत्र पहाडसिंह वगैराह निवासी मारुडी, दरुडा तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर